UPEW010081152025

न्यायालय Spl. Judge (E.C. Act), Etawah

पीठासीन अधिकारी– (Sri Ankur Sharma), (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(J.O. Code– UP01632)

Arbitration Execution No. 144/2025

Kunwar Singh and Ors. Vs. NHAI

दिनांकः 23.07.2026

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार पर प्रार्थीगण/डिक्रीदारान मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। प्रार्थीगण/डिक्रादारान की ओर से प्रार्थना पत्र कागज सं० 40 ग प्रस्तुत कर सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित गणना रिपोर्ट दिनांकित 13.07.2026 के प्रकाश में धनराशि का भुगतान कराने की याचना की गयी।

2. निर्णीतऋणी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र 41 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया कि न्यायालय द्वारा पुनर्विचार याचिका में पारित आदेश दिनांकित 20.05.2026 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका योजित की जा रही है, अतः न्यायहित में आज की तिथि की कार्यवाही स्थगित कर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु उचित समय प्रदान किया जाये।

3. प्रार्थीगण/डिक्रीदारान की ओर से निर्णीतऋणी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर घोर आपत्ति करते हुए मौखिक कथन किया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर वाद को लम्बित किया जा रहा है, अतः स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

4. अवलोकन से विदित है कि निर्णीतऋणी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से न्यायालय द्वारा पुनर्विचार याचिका में पारित आदेश दिनांकित 20.05.2026 के विरुद्ध आज तक कोई याचिका दाखिल नहीं की गयी है और न ही माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निष्पादन वादों के शीघ्रअतिशीघ्र निस्तारण हेतु आदेशित किया गया है। इन परिस्थितियों में निर्णीतऋणी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है तथा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

5. प्रार्थीगण/डिक्रीदारान द्वारा प्रार्थना पत्र 40 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत गणना रिपोर्ट दिनांकित 13.07.2026 के अनुसार

Digitally signed by ANKUR SHARMA
Date: 2026.07.23 15:13:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

भूमि अर्जन विभाग में जमा धनराशि मुब० 12,45,670/–रुपये तथा गणना के उपरान्त मुब० 3,13,07,399/–रुपये कुल धनराशि (12,45,670+ 3,13,07,399)मुब० 3,25,53,069/–रुपये के भुगतान कराने की कृपा करें।

6. निर्णीतऋणी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आपत्ति हेतु समय प्रदान किये जाने की याचना की गयी। अवलोकन से विदित है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित गणना रिपोर्ट दिनांकित 13.07.2026 पर सुनवाई हेतु दिनांक 23.07.2026 नियत की गयी परन्तु निर्णीतऋणी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नियत दिनांक तक कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा इजराय वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में निर्णीतऋणी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की याचना स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

7. अवलोकन से विदित है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.04.2026 के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 13.07.2026 को गणना रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जिसमें क्रम सं० 8 पर अंकित धनराशि 12,45,670/–रुपये के सम्बन्ध में निर्णीतऋणी सं० 3 सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी की ओर से उपस्थित जिला शासकीय अधिवक्ता(सिविल) द्वारा बताया गया है कि उक्त धनराशि डिक्रीदार कुंवर सिंह आदि को भुगतान किये जाने हेतु विभाग में जमा है तथा शेष धनराशि 3,13,07,399/–रुपये व कुल धनराशि 3,25,53,069/–रुपये का भुगतान डिक्रीदारान को किया जाना है।

8. सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत गणना रिपोर्ट दिनांकित 13.07.2026 के प्रकाश में निर्णीतऋणी/विपक्षी सं० 3 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि वे नियत दिनांक 31.07.2026 तक डिक्रीदारान को प्रदान किये जाने हेतु जमा धनराशि 12,45,670/–रुपये व 3,13,07,399/–रुपये कुल धनराशि 3,25,53,069/–रुपये(तीन करोड़ पच्चीस लाख तिरेपन हजार उनहत्तर रुपये) का भुगतान करें। तद्नुसार प्रार्थीगण/डिक्रादारान का प्रार्थना पत्र कागज सं० 40 ग निस्तारित किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 31.07.2026 को पेश हो।

(अंकुर शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (आ 0 व 0 अधि0)/
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं० 4, इटावा।
J.O. CODE : UP01632